नियम 4 : आदेश या निदेश या निर्णय का रूपविधान

प्रत्येक अभिनिर्णय, निदेश, आदेश, समन, वारंट या अन्य आज्ञापक आदेशिका, अपील अधिकरण द्वारा अध्यक्ष या सदस्य के नाम से जारी की जाएगी और उस पर रजिस्ट्रार या अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करने के दिन, महीने और वर्ष के साथ हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसे अपील अधिकरण की अधिकारिक मुद्रा के साथ मुद्राबद्ध किया जाएगा, जहां ऐसे अधिनिर्णय, निदेश, आदेश, समन, वारंट या अन्य आज्ञापक आदेशिका की भौतिक प्रति जारी की जाती है ।